भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2348

09 मार्च, 2021 के लिए प्रश्न

फर्जी बी.पी.एल. कार्ड

2348. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मेरे लोक सभा चुनाव क्षेत्र, भोपाल सहित मध्य प्रदेश में तथा पूरे देश में फर्जी बी.पी.एल. कार्ड का बहुत से अपात्र लोग उपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश, विशेषकर मेरे लोक सभा चुनाव क्षेत्र, भोपाल सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जब्त किए गए फर्जी बी.पी.एल. कार्डों की संख्या कितनी है तथा फर्जी बी.पी.एल. कार्ड के उपयोग के संबंध में सजा के नियमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान मेरे लोक सभा चुनाव क्षेत्र, भोपाल सहित मध्य प्रदेश में कितने नए कार्ड जारी किए जाने की संभावना है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) से (ग): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों के कवरेज को पूर्ववर्ती गरीबी अनुमानों से पृथक कर दिया गया है और इन्हें केवल दो श्रेणियों अर्थात अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) के अधीन आबादी के अनुमानों के साथ जोड़ दिया गया है। इस प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन कोई बीपीएल कार्ड जारी नहीं किया जाता है।

इसके अलावा, प्रौद्योगिकी आधारित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के सुधारों और राशन कार्डों/लाभार्थियों के आंकड़ों के डिजिटीकरण सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्यूटरीकरण के तहत राशन कार्डों की आधार सीडिंग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जाली/बोगस राशन कार्डों की घटनाओं को रोकने के लिए सक्षम बनाती है।

.....2/-

(घ) और (ड.): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अत्यधिक राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों प्राप्त करने के लिए 75 प्रतिशत तक ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत तक शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है। तदनुसार, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन आबादी की संबंधित अधिकतम सीमा तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन पात्र व्यक्तियों/परिवारों को एएवाई और पीएचएच राशन कार्ड जारी कर रहे हैं, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है और इसकी सीमा 5.46 करोड़ व्यक्ति है तथा फिलहाल, भोपाल में 11.6 लाख लाभार्थियों सहित राज्य में लगभग 4.7 करोड़ लाभार्थियों (व्यक्तियों) को कवर किया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन राशन कार्डों को जोड़ना और निरस्त करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (मध्य प्रदेश सहित) नियमित रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन वास्तविक रूप से पात्र व्यक्तियों/परिवारों को नए राशन कार्ड जारी कर रहे हैं। इसके अलावा, इस विभाग ने मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया है कि वे इस अधिनियम के अधीन व्यक्तियों के कवरेज हेतु दी गई सीमा तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन शामिल करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों सहित सभी पात्र और गरीब व्यक्तियों/परिवारों की पहचान करें।

*****